



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-263

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 285386 दिनांक 26/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Vikas Singal S/o Rameshwar Dass Singal	मैसर्स एम.जी. डवलपर्स जरिये पार्टनर शिव कुमार मीना पुत्र रामलाल मीना	81	97.63 SQ. YARD	Private	ASHADEEP GREEN VALLEY EXTENSION	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना आशादीप ग्रीन वैली विस्तार के भूखण्ड संख्या 81 दिनांक 97.63 व.मी. का फ्रीहोल्ड पट्टा विलेख दिनांक 27.09.2023 को मैसर्स एम.जी. डवलपर्स जरिये पार्टनर शिव कुमार मीना पुत्र रामलाल मीना के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.05.2024 को मैसर्स एम.जी. डवलपर्स जरिये पार्टनर शिव कुमार मीना पुत्र रामलाल मीना द्वारा कपिल सोनी पुत्र कैलाश चन्द सोनी एवं मण्डोरा चन्द्रिका



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

पत्नी अलकेश
भाई मण्डोरा को
कर दिया गया।
तत्पश्चात् उक्त
भूखण्ड का बेचान
जरिये रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र दिनांक
10.06.2024 को
कपिल सोनी पुत्र
कैलाश चन्द सोनी
द्वारा अपना
अविभाजित हिस्सा
1/2 मण्डोरा
चन्द्रिका पत्नी
अलकेश भाई
मण्डोरा को कर
दिया गया।
तत्पश्चात् उक्त
भूखण्ड का बेचान
जरिये रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र दिनांक
04.06.2025 को
मण्डोरा चन्द्रिका
पत्नी अलकेश
भाई मण्डोरा
द्वारा विकास
सिंगल पुत्र
रामेश्वर दास
सिंगल को कर
दिया गया।
आवेदक द्वारा
नाम हस्तांतरण
हेतु आवेदन किया
गया है। प्रकरण
में एक से अधिक
बार बेचान की
स्थिति में आम
सूचना का
प्रकाशन कराया
जाना उचित होगा।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Vikas Singal S/o Rameshwar Dass Singal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।